प्रेस विज्ञप्ति
21.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने रोज़ वैली चिट फंड घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 262.90 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई रोज़ वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी), जिसका बुक वैल्यू 1172 करोड़ रुपये है, को पहले ही ईडी, कोलकाता द्वारा कुर्क/जब्त किया जा चुका है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा रोज़ वैली समूह और उसकी संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। उक्त मामलों के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी और आरोप पत्रों से पता चलता है कि रोज़ वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज अवैध रूप से और धोखाधड़ी से जनता से जमा राशि एकत्र कर रही थी, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके धोखा देना था।

कोलकाता पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शहर में बी/02/45, चारुलता परियोजना में एक बंगले के साथ-साथ रोज वैली समूह की छत्रछाया के तहत बत्तीस अग्रिम पंक्ति की कंपनियों के शेयरों , जिसका सामूहिक मूल्य रु 262.90 करोड़ (लगभग) है, के संबंध में दिनांकित 13.08.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। इन परिसंपत्तियों की पहचान उन योजनाओं के माध्यम से उत्पन्न पी.ओ.सी. के रूप में की गई है जो अवैध रूप से और धोखाधड़ी से जनता से निवेश एकत्र करती हैं, जो उच्च रिटर्न का वादा करने वाली वाणिज्यिक योजनाओं के रूप में छिपी हुई हैं।

ईडी जांच से पता चला कि आरोपी गौतम कुंडू के नेतृत्व में रोज वैली समूह ने रु. 17,520 करोड़ रुपये की भूमि पार्सल या होटलों में टाइम शेयरिंग की सुविधा और इन सुविधाओं को देने में असमर्थता की स्थिति में, 18-24% प्रति वर्ष तक की उच्च ब्याज दरों के साथ सुनिश्चित धनवापसी का झूठा वादा करके अपराध जनित धन (पी.ओ.सी.) उत्पन्न किया गया। इस तरह के आश्वासनों के बावजूद, रु 6, 666 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है,जों कि अपारध जनित आय है। ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों अर्थात् मास्टरमाइंड गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं जो विद्वान विशेष न्यायालय, पी.एम.एल.ए., कलकत्ता के समक्ष लंबित हैं।

अवैध गतिविधियों और सार्वजनिक निवेशों की हेराफेरी को छिपाने के लिए, समूह ने इन निधियों को कई संबद्ध कंपनियों में स्तरित और डायवर्ट किया, इन आय का उपयोग करके परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया, और इक्विटी निवेश की आड़ में शेयर जारी किए।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिलीप कुमार सेठ की अध्यक्षता में कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक परिसंपत्ति निपटान समिति (ए.डी.सी.) का गठन किया गया था, जिसमें से ईडी भी एक सदस्य है और अनंतिम कुर्की का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और अन्य पड़ोसी राज्यों में लाखों पीड़ितों के हितों की रक्षा करना है। ईडी वैध पीड़ितों के लाभ के लिए परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने और अंततः वापस करने के लिए कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत गठित परिसंपत्ति निपटान समिति के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। ए.डी.सी. ने अब तक धोखाधड़ी के पीड़ितों को धन के वितरण के 10 चरण पूरे कर लिए हैं और कुल रु. 94, 627 पीड़ितों/निवेशकों को 72.76 करोड़ वापस किया है।